न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 83/2020 बउनवानी काशी सिंह राजपूत **बनाम** सू.अधि.एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी
पुत्र श्री सुरजन सिंह राजपूत निवासी मच्छीपुरा तहसील गंगापुर सिटी **GCMS No-2020/00172**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
06.01.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 25.10.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. श्रीमान जिला कलेक्टर स.मा. का पत्रांक/राजस्व/विविध/2020/4878 दिनांक 14.10.2020 किस आशय का है उसकी एवं उस पर की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही की सत्यप्रतिलिपि दिलावे। 2. राजस्व/विविध/2020/3757 दिनांक 8.9.2020 किन अधिकारी जी के यहा से निर्देशित किया गया उसकी सत्यप्रतिलिपि एवं उसके अनुरूप की गयी कार्यवाही सत्य जानकारी देवे। 3. पत्रांक राजस्व/विविध/2020/2783 दिनांक 24.7.2020 अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा दिया गया हुक्म है जिसमे खसरा नम्बर 281 गै.मु. रास्ता मे ग्राम पंचायत द्वारा भ्रष्टाचार के तहत भराई गयी मिटटी को हटवाने की कार्यवाही की रिपोर्ट से संबंधित है जिसे हटाने की कार्यवाही की जानकारी प्रार्थी को दिलवावे। 4. क्रमांक राजस्व/2020/1814 दिनांक 20.10.2020 की जॉच से संबंधित प्रार्थी की कोई परिवेदना नही है। 18.8.2020 की परिवेदना मिटटी को हटाने की थी जिसमे अंकित बिन्दुओं का उक्त नायब तहसीलदार जी की जॉच रिपोर्ट में कोई जिक्र नही फिर जॉच नियमानुसार क्या औचित्य है जानकारी उपलब्ध करवावे। 5. श्रीमान नायब तहसीलदार जी किस दिनांक को मौके पर पधारे किन सर्व समाज के सामने कार्यवाही की उनके नाम एवं जॉच रिपोर्ट की सत्य जानकारी एवं नायब तहसीलदार किस साधन से पधारे ,उसका नम्बर प्लेट ,किराया के वाहन से पधारे तो उसकी एवं मौके पर पधारने का समय की सत्य जानकारी दिलावे। श्रीमान जी ख0न0 281 के आस पास माली व राजपूत समाज है जिनके द्वारा रास्ते की परेशानी के संबंध मे पंचायत को शिकायत नही की गयी है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम के नियम 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक सूकाअ/2020/70 दिनांक 18.12.2020 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट को उक्त पत्रांक से प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 की सूचना कुल 4 पृष्ठों की भिजवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 4 व 5 की सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 25.10.2020 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 की सूचना जरिये पत्रांक सूकाअ [illegible] दिनांक 18.12.2020 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है [illegible] सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध [illegible] कि तहसीलदार गंगापुर सिटी के कार्यालय मे उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार [illegible] की सूचना उपलब्ध [illegible] जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। प[illegible]ी फैसल शुमार होकर [illegible] कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (राजेन्द्र किशन) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:34:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर